आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 849/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एस.आर.जी. हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, 321, एसएम लोढा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्किल, उदयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सौरभ गोयल पुत्र श्री मोहन लाल गोयल,
   पता:– फ्लेट नं. 201/ए–34, रांका पैराडाइज–9, गोयल अस्पताल के सामने, शास्त्री नगर, तहसील व जिला जयपुर।
   एवं गोयल पेपर कॉर्पोरेशन, 109, कृष्णा स्क्वायर, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, तहसील व जिला जयपुर।
2. श्री मोहन लाल गोयल पुत्र श्री द्वारका दास गोयल,
   पता:– फ्लेट नं. 103, कृष्णा कृपा–01, सुभाष नगर रोड, शास्त्री नगर, तहसील व जिला जयपुर।
3. श्रीमती रितु अग्रवाल पुत्र श्री सौरभ गोयल,
   पता:– फ्लेट नं. 201/ए–34, रांका पैराडाइज–9, गोयल अस्पताल के सामने, शास्त्री नगर, तहसील व जिला जयपुर।
4. श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद शर्मा,
   पता:– ए–1, तिरूपति बालाजी नगर, गुलाब बाजार, सांगानेर बाजार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. श्री रवि कुमार बंसल पुत्र श्री जटाशंकर अग्रवाल,
   पता:– इ–20, जगदंबा मार्ग, शास्त्री नगर, तहसील व जिला जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :– श्री नरेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 20.12.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.09.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सौरभ गोयल के स्वामित्व की संपत्ति फ्लेट नं. 201, सैकण्ड फ्लोर, प्लॉट संख्या 9, बनीपार्क एक्सटेन्शन स्कीम, शास्त्रीनगर तहसील व जिला जयपुर, क्षेत्रफल बिल्टअप एरिया 1537.20 वर्गफीट एवं सुपर बिल्टअप एरिया 2050 वर्गफीट को बन्धक रख कर 50,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र मे जारी वित्त मत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 50,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 54,12,550/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण मे वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एव 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानो के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एव अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष मे अप्रार्थी श्री सौरभ गोयल के स्वामित्त्व की संपत्ति फ्लेट न. 201 सैकण्ड फ्लोर, प्लॉट संख्या 9, बनीपार्क एक्सटेन्शन स्कीम, शास्त्रीनगर, तहसील व जिला जयपुर, क्षेत्रफल बिल्टअप एरिया 1537.20 वर्गफीट एवं सुपर बिल्टअप एरिया 2050 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

7. आदेश आज दिनांक 20.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर